—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल —— प्रार्थीगण
2. श्री जगराज सिंह भारी ——अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा ——अप्रार्थी संख्या 5

निर्णय :—

दिनांकः— 30/1/26

अधिवक्ता प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है—

यह कि प्रार्थी की ओर से उक्त अनवान का मूल वाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा है जिसमें प्रार्थी को अपनी सफलता की पूर्ण आशा व ठोष आधार है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 व 6 के नाम चक 11 पी बी एन के प. न. 39/305 का किला न. 1/228 नहरी, 025 गैर मुमकिन खाला, 2/228 नहरी, 025 गैर मुमकिन खाला, 3/228 नहरी, 025 गैर मुमकिन खाला, 4/228 नहरी, 025 गैर मुमकिन खाला, 5/203 नहरी, .025 गैर मुमकिन खाला, .025 गैर मुमकिन रास्ता, 6/228 नहरी, 025 गैर मुमकिन रास्ता, 7 ता 14, 15/228 नहरी, 025 गैर मुमकिन रास्ता, 16/.228 नहरी, 025 गैर मुमकिन रास्ता, 17 ता 24, 25/228 नहरी, 025 गैर मुमकिन रास्ता, व प. न. 40/305 का किला न. 1 ता 10 की कुल 8.855 हैक्टर जिसमे 8.605 हैक्टर नहरी 0.250 हैक्टर गैरमुमकिन खाला रास्ता सयुक्त खाते की भूमि है जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 का सयुक्त रूप मे 6.325 हैक्टर ब हिस्सा बराबर

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

...रसा, अप्रार्थी सं. 1 का 1.265 हैक्टर अप्रार्थी सं. 2 का 1265 हैक्टर हक [illegible] हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 के नाम चक 11 पी बी एन के प. न. 40/305 का किला नं. 21 ता 23, 24/2/126 की 0.885 हैक्टर नहरी भूमि मे ब हिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2, 6 की सयुक्त खाते की चक 11 पी बी एन के प. नं. 40/305 के किला नं. 1 ता 10 की 2.530 हैक्टर भूमि व प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 की प. नं. 40/305 का किला नं. 21 ता 23, 24/2/126 की 855 हैक्टर भूमि की सिचाई के लिये प. नं. 40/305 के किला न. 1 मे सिचाई विभाग द्वारा नाका स्वीकृत किया हुआ प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी भूमि की सिचाई करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2, 6 की सयुक्त खाते की चक 11 पी बी एन के प. न. 40/305 के किला न. 1 ता 10 की 2.530 हैक्टर भूमि मे से प. न. 40/305 के किला न. 1 मे अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने बिना कोई भूमि का विभाजन करवाये रिहायशी ढाणी बना रखी है तथा प. न. 40/305 के किला न. 1 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 बिना किसी अधिकारिता के पक्की डिग्गी का निर्माण करवा रहे है व उसके चारो तरफ दीवार निर्माण करने के लिये प्रयासरत है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प. नं. 40/305 के किला नं. 1 मे निर्मित करवायी जा रही पक्की डिग्गी व चारदीवारी से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 की भूमि की सिचाई के लिये स्वीकृत नाका जो प. न. 40/305 के किला न. 1 पर है से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 की भूमि की सिचाई मे बाधा कारित हो रही है व किला न. 1 मे स्वीकृत नाका से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 की भूमि किसी रूप मे सिचाई नही हो सकेगी।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1,2, 6 की सयुक्त खाते की चक 11 पी बी एन के प. न. 39/305 का किला न. 1/.228 नहरी, 025 गैर मुमकिन खाला, 2/.228 नहरी, .025 गैर मुमकिन खाला, 3/.228 नहरी, .025 गैर मुमकिन खाला, 4/.228 नहरी, 025 गैर मुमकिन खाला,5/.203 नहरी, .025 गैर मुमकिन खाला, .025 गैर मुमकिन रास्ता, 6/. 228 नहरी, 025 गैर मुमकिन रास्ता, 7 ता 14, 15/.228 नहरी, .025 गैर मुमकिन रास्ता, 16/.228 नहरी, 025 गैर मुमकिन रास्ता, 17 ता 24, 25/.228 नहरी, .025 गैर मुमकिन रास्ता, व प. न. 40/305 का किला न. 1 ता 10 की कुल 8.855 हैक्टर भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत बंटवारे से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 व 2 को प. न. 40/305 के किला न. 1 मे कोई पक्की डिग्गी व उसकी चारदीवारी करने का विधिसम्मत अधिकार प्राप्त नही होने से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 से निवेदन किया कि उक्त भूमि का अच्छी– मन्दी भूमि अनुसार भूमि का बंटवारा करवाकर अपने को बंटवारे मे प्राप्त हुई भूमि पर ही पक्की डिग्गी व चारदीवारी का निर्माण करवाये बिना विभाजन के सयुक्त खाते की भूमि मे किसी प्रकार का कोई निर्माण नही करने हेतु निवेदन किया तो वे भूमि का अच्छी–मन्दी किस्म बटवारा करवाने व खातेदारी भूमि मे अवैध निर्माण करने से रोकने हेतु दिनांक 07.03.2021 को इन्कार हो गये। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 उक्त भूमि के 6.325 [illegible] हिस्सा के सहखातेदार होने से अपनी भूमि का अच्छी मन्दी अनुसार बं[illegible] प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय [illegible] होने से प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की तात्कालिन निषेधाज्ञा प्रा[illegible] करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण विभाजन से पूर्व प्रश्नगत प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित भूमि पर कोई पक्की डिग्गी तथा चारदीवारी करने से निषेध रहे व प्रश्नगत भूमि की स्थिति मे किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नही करे तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 की प. न. 40/305 के किला न. 21 ता 24 की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

भूमि के लिये स्वीकृत किला न. 1 मे नाके से हो रही सिचाई सुविधा मे किसी प्रकार से बाधा कारित करने से निषेध रहे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की वादकालिन निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण सयुक्त खाते की चक 11 पी बी एन के प. न. 39/305 का किला न. 1/.228 नहरी, .025 गैर मुमकिन खाला, 2/.228 नहरी, .025 गैर मुमकिन खाला, 3/.228 नहरी, .025 गैर मुमकिन खाला, 4/.228 नहरी, .025 गैर मुमकिन खाला, 5/.203 नहरी,.025 गैर मुमकिन खाला, .025 गैर मुमकिन रास्ता, 6/.228 नहरी, .025 गैर मुमकिन रास्ता, 7 ता 14, 15/228 नहरी, .025 गैर मुमकिन रास्ता, 16/.228 नहरी, .025 गैर मुमकिन रास्ता, 17 ता 24, 25/.228 नहरी, .025 गैर मुमकिन रास्ता, व प. न. 40/305 का किला न. 1 ता 10 की कुल 8.855 हैक्टर भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत बंटवारे से पूर्व प.न. 40/305 के किला न. 1 मे कोई पक्की डिग्गी व उसकी चारदीवारी का निर्माण करने व मौके की स्थिति मे किसी प्रकार कोई परिवर्तन करने व प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 की प. न. 40/305 के किला न. 21 ता 24 की भूमि के लिये स्वीकृत किला न. 1 मे नाके से हो रही सिचाई सुविधा मे किसी प्रकार से कोई बाधा कारित करने से निषेध रहे।

जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1, 2 की और निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1, 2 की आवासीय ढ़ाणी व बुन्द बुन्द जल संचय पद्धति पर आधारित राज्य सरकार द्वारा अनुदानित डेम (डिग्गी) किला नं. 1 में बनी हुई है । अप्रार्थी सं. 1, 2 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि प.नं. 40/305 के किला नं. 1, 10 में अप्रार्थीगण द्वारा 10 फीट कृषि भूमि बजानिब किला नं. 1 पश्चिम दिशा में खाला हेतू छोड़ रखी है जिसमें से प.नं. 40/305 की कृषि भूमि में अच्छी तरह से सिचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है । अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पति दलीप कुमार को अपने दादा औकांर पुत्र रावताराम जाति नैण साकिन दुलमानी से जरिये वसीयत दिनांक 10.05.1991 को किला विशेष का वर्णन करते हुए चक 11 पीबीएन के प.नं. 40/305 किला नं. 1 ता 10 की 10 बीघा कृषि भूमि ब. हि. ब. प्राप्त हुई । अप्रार्थी सं. 2 के पति दलीप कुमार फौत हो चुके है। जिसका विरास्तन इन्तकाल पत्नी अप्रार्थी सं. 2 व पुत्र के पक्ष में हुआ । पुत्र द्वारा अपनी माता के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी अपना तमाम हक व हिस्सा का हक त्याग कर दिया गया। इस प्रकार से अप्रार्थी सं. 1 व 2 को चक 11 पीबीएन के प.नं. 40/305 किला नं. 1 ता 10 की 10 बीघा भूमि ब. हि. ब. प्राप्त हुई। दादा औकार द्वारा दिनांक 10.05.1991 को की गई वसीयत में किला विशेष को खोलते हुए वसीयत की गई परन्तु वरवक्त नामान्तरण सहवन से वसीयत अप्रार्थी सं.1 व 2 के पति दलीप कुमार का नामान्तरण सांझा खाता में कर दिया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के चक 11 पीबीएन के प. नं. 40/305 के किला नं. 1 में आवासीय ढाणी बनी हुई है, ढ़ाणी के चिपते ही अनुदानित डिग्गी का निर्माण हो चुका है। प.नं. 40/305 के किला नं. 1 व 10 में सिचाई सुविधा हेतू खाला मौका पर चालू है। खाला हेतु अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि खाला से लगभग 6 फुट ज्यादा है। पानी की सिचांई सुविधा अनवरत चालू है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 को मात्र तंग परेशान करने के लिये यह दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है । चित्रप्रति वसीयत सलग्न जबाब प्रार्थना पत्र है यह कि वाद पत्र की दफा 6 अस्वीकार है । अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पति दलीप कुमार को जरिये वसीयत से प्राप्त कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीवंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

के समय से ही अप्रार्थी सं. 2 चक 11 पीबीएन के प.नं. 40/305 किला नं. 1 ता 10 की कुल 2.530 हैक. भूमि ब. हि. ब. शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है । वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में वर्णित चक 11 पीबीएन के प.नं. 39/305 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक., प.नं. 40/305 किला नं. 1 ता 10 की कुल 2.530 हैक. कृषि भूमि इस प्रकार कुल 8.855 हैक. कृषि भूमि सयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 के नाम 6.325 हैक. ब. हि. ब. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम 2.530 हैक. ब. हि. ब. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 का चक 11 पीबीएन के प.नं. 39/305 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक. कृषि भूमि पर ब. हि. ब. कब्जा काश्त है। प्रार्थी की चक 11 पीबीएन के प.नं. 39/305 किला नं. 15 में आवासीय ढ़ाणी बनी हुई है व प.नं. 39/305 किला नं. 11 में पानी की डिग्गी बनी हुई है। खाता विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड अकंन नही हुआ है लेकिन कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. को 6.325 हैक. प्राप्त हुई है जो कि चक 11 पीबीएन के प.नं. 39/305 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक. कृषि भूमि ही है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को चक 11 पीबीएन के प.नं. 40/305 किला नं. 1 ता 10 की 2.530 हैक. कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की आवासीय ढ़ाणी व अनुदानित पानी की डिग्गी के निर्माण से प्रार्थी व अप्रार्थी सं.6 को कोई क्षति कारित नही हो रही है न ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 की सिचाई की सुविधा में कोई रुकावट पैदा हो रही है व न ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं.6 के हित प्रभावित हो रहे है । प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है । अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का प्राप्त हो चुका है जो शामिल पत्रावली है। स्टेट जवाब प्राप्त है जो शामिल वाद पत्र है।

—::आदेश::—

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है। पूर्व में जारी सगिनादेश उभय पक्ष को सुनकर जारी किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 23.03.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला कनफर्म किया जाता है। पत्रावली [illegible] की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 20/1/26 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
सत्यमेव जयते